SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I can't fully share the views of the hon. Member. There is no colonial growth as such. I agree with him that there was a 2.8 per cent decline in the production of capital goods in January, 2000 as against 16.9 per cent growth during January, 1999. So far as mining is concerned, it is minus 1.2 per cent. I agree with him. But, overall, the Indian industry has registered an 9.4 per cent annual growth during January, 2000 giving further evidence that a distinct recovery is underway. The growth was powered by the manufacturing sector which accounts for more than two-thirds of the total weightage in the IIB. So, the picture is not gloomy. It is optimistic.

## दूरदर्शन में नैमित्तिक समाचार वाचकों का हटाया जाना

†*249. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
**प्रो॰ राम गोपाल यादव:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने नैमित्तिक समाचार वाचकों को सेवा से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार वाचकों की संख्या कितनी है तथा वे कितने वर्षों से नैमित्तिक समाचार वाचक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें किन कारणों से हटाया गया है;

(ग) क्या सरकार उन्हें बहाल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इससे रिक्तियों को भरने की चयन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा?

**शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) और (ख) समाचार-वाचकों को दूरदर्शन द्वारा बनाए गए पैनल में से आवश्यकतानुसार नियत शुल्क पर नैमित्तिक विनियोजन आधार पर बुलाया जाता है। इस पैनल में 18 अंग्रेजी तथा 27 हिन्दी के समाचार-वाचक थे। प्रसार भारती ने इस सभी समाचार-वाचकों के कार्यनिष्पादन की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा करवाई थी। इस समिति की सिफारिशों पर 7 अंग्रेजी के तथा 12 हिन्दी के समाचार-वाचकों को पैनल में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। पैनल में शामिल न किए गए

†सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया।

समाचार-वाचकों के नाम और उनकी प्रथम बुकिंग के वर्ष संबंधी ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया गया है (नीचे **देखिए**)।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पैनल में शामिल समाचार-वाचकों की सेवाएं समय-समय पर आवश्यकतानुसार नैमित्तिक आधार पर ली जाती हैं। इस प्रकार, दूरदर्शन में नैमित्तिक समाचार-वाचकों के कोई स्वीकृत पद नहीं है। इसलिए, नैमित्तिक समाचार-वाचकों के पैनल में से कुछ नाम हटाने के परिणामस्वरूप रिक्तियों का प्रश्न नहीं उठता।

## तालिका

**दूरदर्शन के पैनल में बनाए रखने के लिए उपयुक्त न पाए गए समाचार-वाचक**

**अंग्रेजी पैनल**

| | नाम | प्रथम बुकिंग वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री सुकन्या बालकृष्णन | 1990 |
| 2. | सुश्री रेणुका चिदम्बरम | 1993 |
| 3. | सुश्री पूनम चढढ्ा | 1984 |
| 4. | सुश्री कावेरी मुखर्जी | 1982 |
| 5. | श्री जितेन्द्र रामप्रकाश | 1994 |
| 6. | सुश्री गीतांजलि अय्यर | 1971 |
| 7. | श्री हरबिन्दर बधवार | 1982 |
| 8. | श्री एल. तोच्वांग | 1997 |
| 9. | श्री शिवेन्द्र कुन्द्रा | 1989 |
| 10. | सुश्री मयूरी अग्रवाल | 1994 |
| 11. | सुश्री रमेशवेंकटरमन | 1994 |

**हिन्दी पैनल**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री मुनीष शर्मा | 1995 |
| 2. | श्री चमन गुप्ता | 1979 |
| 3. | श्री आई.पी. सिंह | 1985 |
| 4. | श्री उमेश जोशी | 1982 |
| 5. | सुश्री पार्वती कुमार | 1995 |

| | नाम | प्रथम बुकिंग वर्ष |
|---|---|---|
| 6. | सुश्री मनीषा दुबे | 1995 |
| 7. | सुश्री ज्योति सिंह | 1997 |
| 8. | सुश्री सन्ध्या शर्मा | 1995 |
| 9. | श्री शम्मी नारंग | 1983 |
| 10. | श्री अमिताभ श्रीवास्तव | 1993 |
| 11. | सुश्री रंजना यादव | 1995 |
| 12. | सुश्री अर्पणा सिंह | 1990 |
| 13. | श्री वेद प्रकाश | 1984 |
| 14. | श्री विनीत आहूजा | 1985 |
| 15. | श्री सैयीद अन्सारी | 1997 |

**Removal of Casual News-Readers in Doordarshan**

†*249. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK:††
PROF. RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan has removed its casual news-readers;

(b) if so, the number of such news-readers and for how many years they were working as casual news-readers, together with the reasons of their removal;

(c) whether Government are considering to reinstate them;

(d) if so, by when; and

(e) if not, the reasons therefor and whether it would affect the selection process for the vacancies?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI JAGMOHAN): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) News readers are engaged on casual assignment basis as and when required on a fixed fee from a panel maintained by Doordarshan. There

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rama Shanker Kaushik.

were 18 English and 27 Hindi news-readers in the panel. Prasar Bharati has got the performance of all these news-readers reviewed by an Expert Committee. On the recommendations of this Committee, 7 English News Readers and 12 Hindi news-readers have been approved for retention in the panel. The names of the news-readers not empanelled and the year of their first booking are given in enclosed Table (*see* below). (c) No such proposal is pending with the Government. (d) Does not arise. (e) Service of empanelled news-readers are utilized from time to time on casual basis as and when required. As such, there are no sanctioned posts of casual newsreaders in Doordarshan. Therefore, there is no question of vacancies as a consequence of removal of some of the names from the panel of casual news-readers.

**Table**

*New-sreaders not found suitable for further retention on panel of Doordarshan*

*English Panel*

| Sl.No | Name | Year of first booking |
|---|---|---|
| 1. | Ms. Sukanya Balakrishnan | 1990 |
| 2. | Ms. Renuka Chidambaram | 1993 |
| 3. | Ms. Poonam Chadha | 1984 |
| 4. | Ms. Kaveri Mukherjee | 1982 |
| 5. | Mr. Jitendra Ramprakash | 1994 |
| 6. | Ms. Gitanjali Aiyar | 1971 |
| 7. | Mr. Harbinder Badhwar | 1982 |
| 8. | Mr. L. Tochwang | 1997 |
| 9. | Mr. Shivendra Kundra | 1989 |
| 10. | Ms. Mayri Aggarwal | 1994 |
| 11. | Ms. Ramesh Venkataraman | 1994 |
| *Hindi Panel* | | |
| 1. | Mr. Munish Sharma | 1995 |
| 2. | Mr. Chaman Gupta | 1979 |

| Sl.No | Name | Year of first booking |
|---|---|---|
| 3. | Mr. I.P. Singh | 1983 |
| 4. | Mr. Umesh Joshi | 1982 |
| 5. | Ms. Parvati Kumar | 1995 |
| 6. | Ms. Manisha Dube | 1995 |
| 7. | Ms. Jyoti Singh | 1997 |
| 8. | Ms. Sandhya Sharma | 1995 |
| 9. | Mr. Shammi Narang | 1983 |
| 10. | Mr. Amitabh Srivastava | 1995 |
| 11. | Ms. Ranjana Yadav | 1995 |
| 12. | Ms. Aparna Singh | 1990 |
| 13. | Mr. Ved Prakash | 1984 |
| 14. | Mr. Vineet Ahuja | 1985 |
| 15. | Mr. Sayeed Ansari | 1997 |

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी में एक बात यह साफ लिखी है कि हिन्दी के 27 समाचार वाचक थे, उनमें से 15 को हटा दिया गया है, केवल 12 रखे गए हैं और अंग्रेजी के 18 समाचार वाचक थे, उनमें से 11 को हटा दिया गया है, केवल 7 रखे गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ये समाचार वाचक 1982 से लेकर 1997 तक के वाचक रहे हैं, कोई 1982 से आया है और आखिर में 1997 तक के वाचक उसमें शामिल हैं। श्रीमन् आज जब कि अंग्रेजी के समाचार बुलेटिन्स की भी और हिन्दी के समाचार बुलेटिन्स की भी संख्या बढ़ गई है और पिछले दो-तीन साल से तो यह काफी बढ़ गई है, तो एक तो अपने प्रश्न के "क" भाग के रूप में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये 27 वाचक क्यों रखे गए, अंग्रेजी में 18 क्यों रखे गए, जब कि काम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12 से और 7 से चल जाएगा?

अपने प्रश्न के 'ख' भाग के रूप में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समीक्षा समिति की अनुशंसा पर ये वाचक हटाए गए हैं, उस समिति में कौन-कौन से सदस्य थे?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, he is not the Minister of Information and Broadcasting. Then, how is he answering?

SHRI JAGMOHAN: I have taken permission.

MR. CHAIRMAN: He has taken permission.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: When Parliament is in Session, the hon. Minister seems to have gone to Gujarat. Sir, has he gone there with your permission? It is a matter of privilege.

SHRI JAGMOHAN: I am answering the question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I do not object to it. But, my point is, while Parliament is in Session, the Minister, who are having Starred Questions relating to their Departments, should be present in the House. So, how is he absent?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He has gone to Ahmedabad to file his nomination papers.....(*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I do not understand. I put on record. This is for the first time—I am here for many years—that on the question day, a question comes in a hon. Minister's name and he is absent. This has never happened. I agree with them. He has the right. But this has never happpened in the House.

**श्री जगमोहन:** सर, जो रिक्वायरमेंट हैं हिन्दी की और इंगलिश की, ये ऐसैस की जाती हैं और उसके बेस पर एक जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसने डिसाइड किया है। ये कोई वेकेन्सीज़ नहीं हैं, ये कोई जांब नहीं है, ये केज्युअल रीडर्स होते हैं, जो कहीं और भी काम करते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको बुलेटिन पढ़ने के लिए कहा जाता है और पढ़ा जाता है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फ्राम टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और जो नया कम्पिटीशन आया है, उसके बेसिस पर सुटेबिलिटी को दोबारा देखा गया, एक्सपर्ट्स की एक कमेटी कांस्टीच्यूट की गई, जिन्होंने इसको रिव्यू किया और उस रिव्यू के बाद जितनी रिक्वायरमेंट थी, उसके अनुसार इंगलिश में 18 में से 7 रखे गए और हिन्दी में 25 में से 12 रखे गए। इनका एक पैनल होता है, यह जरूरी नहीं कि सबको बुलाया जाएगा और उस पैनल में से जो मोस्ट सूटेबल होता है, उसको बुलाया जाता है। अब उसमें से किसको प्राइम टाइम में बुलाया जाएगा, किसको नॉन प्राइम में बुलाया जाएगा, सूटेबिलिटी के आधार पर देखा जाता है। तो हिन्दी में 27 में से 12 रखे गए हैं। वह एक केज्युअल रीडर है, दैट वाज़ नाट जॉब और जो रिक्वायरमेंट्स दूरदर्शन की हैं, उसके अनुसार उन्हें रखा जाता है। आपने कहा कि हिन्दी में यह डिसप्रपोशनेट हो गया, कम हो गया, लेकिन इसका एक रीज़न यह है कि जहां कहीं ऐकरिंग करने के लिए, अब ऐकरिंग एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। यह प्रसार भारती की अल्टीमेटली जो एक्सपर्ट कमेटी है, प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो ऐप्रूव किया है, उसके बेसिस पर है और यह एक कम्पीटेंट अथॉरिटी होती है, उसने डिसाइड किया है और नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नए पैनल बने हैं। यह कोई जॉब नहीं है, उनको बुलाया जाता है डिपेंडिंग अपान दि रिक्वायरमेंट्स। कौन ऐवेलेबल है, कौन ऐवेलेबल नहीं है, कहां काम करते हैं,

कहां काम नहीं करते हैं, किस वक्त आ सकते हैं, दीज आर दि मैटर्स आफ डिटेल्स, जिसके आधार पर उनको बुलाया जाता है और उसके लिए रेमुनरेशन फिक्स है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि उस समीक्षा कमेटी में कौन-कौन से लोग सदस्य थे जिनकी समीक्षा के आधार पर या जिनकी अनुशंसा के आधार पर इन लोगों का चयन हुआ।

**श्री जगमोहन:** एक्सपर्ट कमेटी जो थी, वह बोर्ड ने बनाई थी। उसके जो सदस्य थे, अगर आप नाम चाहते हैं तो में आपको नाम लिखकर भेज दूंगा। उसमें सीनियर अफसर थे। वह इंटर्नल कमेटी थी। उसमें बाहर के लोग नहीं थे। वह इंटर्नल कमेटी थी बोर्ड की जिसने एसेस्मेंट किया। मैं आपको उन लोगों के नाम दे दूंगा जो उस कमेटी में थे।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, मैं बताए देता हूं नाम। एक तो जामिया मिलिया के प्रोफेसर किदवई साहब थे।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** अगर आपको मालूम है तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जवाब दे दीजिए।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** महोदय, मैं उस पर सवाल करूंगा। मैं बताए देता हूं नाम। एक मिस्टर किदवई थे जो प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में। एक महिला जो नाट्य संस्था चलाती हैं, निर्मात्री सुश्री कीर्ति जैन, वह भी इस कमेटी की मेंबर थीं और तीसरे मेंबर थे श्री रजत शर्मा जो स्टार टी.वी. से संबंधित हैं। श्रीमन् मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस कमेटी में श्री रजत शर्मा एकमात्र एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। एक तो नाट्य संस्था चलाती हैं और एक प्रोफेसर हैं, इनको कोई समीक्षा करने का अनुभव हो या अन्य कोई अनुभव हो, ऐसी बात नहीं है। महोदय, इन लोगों में केवल रजत शर्मा एकमात्र एक्सपर्ट थे लेकिन रजत शर्मा ने उस बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया। वे उस मीटिंग में आए ही नहीं और केवल 2 लोगों के जरिए, जिनको इस क्षेत्र का कुछ भी अनुभव नहीं था, उनके जरिए यह काम किया गया।

महोदय, इस सरकार को सारी चीजों का राजनीतिकरण करने की आदत हो गई है और वह चाहती है कि हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया जाए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें नौकरशाही और राजनीति का पुट है जिसकी वजह से इन लोगों को हटाया गया और कई ऐसे चेहरों को लाया गया जिनका संबंध राजनीति से और उन लोगों से है जो नौकरशाह हैं।

**श्री जगमोहन:** सभापति महोदय, जो पहला पैनल था, उसी में से लोग सेलेक्ट किए गए और नये चेहरे नहीं लिए गए। उसमें डॉयरेक्ट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन हैं, We cannot say that they are not experts. फिर अगर किसी को कंपोज़ीशन पर ऐतराज़ था तो जब स्क्रनिंग हुई थी उसके

पहले कोई ऐतराज़ करता। उनमें से एकाध लोग जब पहले स्क्रीनिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि इसमें तो कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इशू यह है कि यह काम गवर्नमेंट नहीं करती है। प्रसार भारती ने जो बोर्ड बनाया है, सेलेक्शन करके कम्पेटी उन्होंने बनाई है, यह उनका इंटर्नल मैटर है। Prasar Bharati is a separate independent authority. उसने बोर्ड बनाया। उसमें जो चीफ-एक्जीक्यूटिव हैं, वह कंपीटेंट एथोरिटी हैं, उन्होंने एप्रूव कर दिया। अब जो नयी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उन्होंने ऐप्लीकेशन मांगी हैं। करीब 2000 ऐप्लीकेशंस आई हैं। इनको देखकर जो भी कंपीटेंट एथोरिटी है, वह सेलेक्शन प्रोसेस के अनुसार उस पर डिसीजन लेगी।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is a ticklish problem. Sometimes I don't understand. On the one side, we say Prasar Bharati is autonomous and on the other hand, we go to the extent of finding fault with the so-called Expert Committee or internal committees. This is a separate matter which has to be addressed by the House at a later stage. My worry is that while reviewing the performance or while retaining some people, was the age factor taken into consideration? I am putting this question becasue there is a lot of competition and yongsters should also be given needed importance. यह भी ध्यान में रखकर किया है? नहीं तो कम से कम आने वाले दिनों में दोबारा जब ऐसा रिव्यू होगा, उस समय यह भी ख्याल में रखा जाएगा? सरकार को ऐसा अधिकार है क्या, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगमोहन: सभापति महोदय, सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने सारे आस्पैक्ट्स देखे हैं, including age, suitability. From all angles he is accommodated. Just to induct fresh talent and younger elements, applications have also been invited. Two thousand applications have come.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Sir, I would like the Minister to kindly state what arrangements have been made in Akashvani and Doordarshan for scouting new talent. Is it left to the aspirants who apply for jobs or are there arrangements for looking around for new talent?

श्री जगमोहन महोदय: महोदय, जो भी जॉब्स के लिए ऐप्लाई करते हैं, उसके लिए कंपीटेंट एथोरिटी बोर्ड बनाती है, उसके लिए सेलेक्शन प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसके हिसाब से जो रिकमंडेशंस आती हैं, बोर्ड उसको एप्रूव करता है। प्रसार भारती बोर्ड या चीफ-एक्जीक्यूटिव बोर्ड जिसको ये पावर डेलीगेट होती है, वह एप्रूव करता है और क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: I would like to know from the hon. Minister whether there is a committee of experts at the State level to decide

about the selection of news readers. Secondly, in Gujarat, there are some casual news readers. But some of them are dropped because of the likes and dislikes of those who are incharge of the Doordarshan Kendra at Ahmedabad. Because of favouritism, some persons, who are known to be efficient news readers by the people of Ahmedabad, are not given opportunities to read news bulletins for two, three or even four months. Will the hon. Minister inquire into this?

SHRI JAGMOHAN: Sir, I cannot comment on this because it is for the Prasar Bharati to decide. The Parsar Bharati is an independent authority. If you give me the details of any specific case in which you think an injustice has been done, we will look into it.

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, इस प्रकार तो हम दूरदर्शन के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं कर सकते?

**श्री सभापति:** हां, हो गया, बस।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: I find an interesting trend in the answers given by hon. Ministers. First, there was a question asked about the details of discussion, on which I did not comment at that time. The answer given was that discussions on various subjects were held. Then, here is a specific question as to what the reasons were for their removal. Everything else, but that, has been answered. Well, the expert committee removed certain news readers. Why? There must have been some criterion. The (b) part of the question is interesting. I do not know about the panel of Hindi news readers, but on the panel of English news readers, there are the names of three women, who had been doing this work since 1971, 1982 and 1984. Why were they removed despite their experience? Was there also, like Venkaiahji mentioned, the age factor involved in their removal?

SHRI JAGMOHAN: I have answered both the aspects. The point is that all the aspects, including age factor, were taken into account. The longevity of experience was taken into account. But the issue is that the requirements have also come down. There was a large panel and some people were never called because their turn never came or they did not find their names because they were working at various places. So, the expert committee had said that the total requirements is seven in English, so much in Hindi, and that the panel has now been kept. There is nothing wrong in that. After all, you can reduce the requirements if the circumstances have changed. They were not employees. So, they have not been removed. They were only being called. They are called for reading news and they get Rs. 1200 for reading one type of bulletin, Rs. 5000

for another type of bulletin and Rs. 200, or whatever it is, for this type of bulletin. So, there is nothing wrong. Now, more suitable people have been kept. It is no aspersion on those who have been for a long time. It is only that more suitable people have been kept because we have to compete with the other channels. We have to see that our acceptability to the viewers is more. After all, this is the Prasar Bharati's decision.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Sir, the hon. Minister has replied that there are 18 news readers on the English panel and 24 on the Hindi panel. So far as the Chennai Doordarshan Kendra is concerned, four casual news readers went to the High Court and the court had also ordered for their reinstatement. It is more than three years now. They made a representation to the Minister also. But till date you have not taken any step towards their reinstatement. I would like to know whether the hon. Minister will be taking steps to reinstate these employees of the Chennai Doordarshan Kendra or whether you are going to file an appeal before the Supreme Court?

SHRI JAGMOHAN: Sir, I am not specifically aware of the case relating to Chennai Kendra, but if there is an order, that will be obeyed. Nobody can disobey a High Court order. The decision to appeal or not to appeal is of the Prasar Bharati, not of the Government. If they go in appeal and if a stay order is obtained by them, then only they will be kept; otherwise, the court order will have to be followed by the authorities, including Prasar Bharati.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over

---

## WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

### Revival Package for SAIL

*242. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government plan to invest 8,000 cr. plus in a revival package for SAIL

(b) whether there will be a waiver on steel development loan amounting to Rs. 5073 cr. among other waivers;

(c) whether the private steel industry are protesting as this would adversely affect the industry; and